2013/00078

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2013 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती लछुड़ी पत्नी कान जी भील, निवासी रेला, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. माना पिता हीरा जी भील, निवासी रेला, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
3. ओझा पिता माना जी भील, निवासी रेला, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
4. गौतम पिता माना जी भील, निवासी रेला, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. शंकर पिता धर्मा जी गमेती भील, निवासी डाकन कोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगीलाल पिता वाला जी भील, निवासी डाकन कोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती काली पुत्री वाला जी भील, निवासी डाकन कोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती धुलकी बेवा वाला जी भील, निवासी डाकन कोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

...............रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू
राजस्व अधि0–1956 विरूद्ध संपरिवर्तन
आदेश उपखण्ड अधिकारी गिर्वा कमांक
एफ 4( )राज./बी/भू.रू./ग्रा./07/
820–24 दिनांक 26–02–2007

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री हीरालाल कटारिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1, 2

---::---

निर्णय   दिनांक 24-12-2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपीलाधीन आदेश क्रमांक एफ 4 ( ) राज./बी/भू.रू./ग्रा./07/820-24 दिनांक 26-02-2007 से ग्राम डाकन कोटडा की आराजी नंबर 1557, 1560 एवं 1603 कुल किता 3 रकबा 0.3800 हैक्टर यानि 3800 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ का रूपान्तरण आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26-02-2007 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण फर्म द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01-03-2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त रूपान्तरण आदेश अवैध है। इस आदेश की उन्हें सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04-01-2013 को हुई। इससे पूर्व उन्हें उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट जनजाति के सदस्य होकर अनपढ़ हैं व ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है। जमीन रिसीवरी में होने से हमने इसके मुत्तलिक कभी जानकारी करने का प्रयास ही नहीं किया। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के संबंध में वाला द्वारा पेश किया गया था जिसमें वाला का स्वर्गवास हो जाने से नामकायमी के रूप में लड़कियों का नाम भी जोड़ा गया, जबकि वाला भील होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति था, ऐसे मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 (2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अगर उनका नाम वारिसान के रूप में गलती से कायम कर भी दिया गया है तो वे इस जमीन के मालिक नहीं होते हैं तथा उन्हें रूपान्तरण के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। वाला के दावे में रूटिंग में लड़कियों के नाम कायमी में जोड़ दिये गये जिससे लड़कियां वाला की जायदाद की उत्तराधिकारी नहीं हो जाती हैं तथा राजस्व अपील अधिकारी के यहां भी अपील में वही नाम चलते रहे, जबकि लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होने से मोहनी द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी तथा यह

बताया कि लडकियों का उक्त जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। मौजूदा अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है तथा अपील जानबूझकर मयाद बाहर पेश की गयी है। गलत इन्द्राज से किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जैसाकि ए.आई.आर. 1994 सुप्रिमकोर्ट पेज 227 व 1496 पर तय किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट उक्त भूमि के मालिक काबिज होकर उनके द्वारा अपनी भूमि का रूपान्तरण करवाया गया है तथा जिस दिन रूपान्तरण करवाया उसी दिन अपीलान्टगण को इसका ज्ञान था। उक्त रूपान्तरण दिनांक 25-02-2006 को करवाया गया है, जिसके 7 वर्ष बाद वर्ष 2013 में यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो मयाद बाहर है तथा रूपान्तरण आदेश को चुनौती देने का अपीलान्टगण को कोई अधिकार नहीं है। रिसीवर केवल दावे के निर्णय तक किया गया था, दावा निर्णित होते ही रिसीवर समाप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण को सारी जानकारी थी, परन्तु उसका कोई हक अधिकार नहीं होने से उनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। जमीन का नामान्तरकरण विरासत से वाला के बजाय मांगीलाल के नाम खुला इसकी अलग-अलग अपीलें सन् 2007 में मौजूदा अपीलान्टगण द्वारा पेश की गयी, जो दिनांक 15-03-2010 को सव्यय खारिज कर दी गयी। उस दिनांक को भी मौजूदा अपीलान्टगण को सारी जानकारी थी, परन्तु सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाकर सन् 2007 में वर्ष 2013 में अपील पेश की, जिसके संबंध में जानकारी वर्ष 2013 में होना बताया, जो मिथ्या है एवं अपीलान्ट द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टगण से संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है तथा अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए अपील धारा 96 जा.दी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर ही प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु अपीलान्टगण द्वारा धारा 96 जा.दी. के तहत कोई अनुमति नहीं ली गयी है। इसलिए अपील इसी बिन्दु पर खारिज की जावे।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दौराने अपील एक अन्य आवेदन भी पेश कर विवादित भूमि को रिसीवरी में होने तथा अब तक रिसीवरी से मुक्त नहीं किये जाने के कारण तथा रूपान्तरण के पश्चात कोई निर्माण नहीं करने संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाये जाने का निवेदन किया।

→ प्रकरण में हम यह पाते हैं कि न्यायालय किसी भी पक्षकार के लिए साक्ष्य सृजित नहीं करता है तथा अपीलान्ट के भार सिद्ध किसी भी

साक्ष्य को न्यायालय द्वारा एकत्रित नहीं किया जा सकता। तदनुसार अपीलान्ट का उक्त आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक दफा 5 के आवेदन का प्रश्न है, हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि रूपान्तरण आदेश दिनांक 26-02-2007 को जारी किया गया है, जिसके करीब 6 वर्ष बाद यह अपील पेश की गयी है तथा उक्त रूपान्तरण आदेश की जानकारी अपीलान्ट ने दिनांक 04-01-2013 को होना बताता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित विभिन्न नामान्तरकरणो की अपीलें तथा मूलवाद की अपील राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय राजस्व मण्डल के न्यायलय में की जाने से दौराने अपील इस प्रकरण की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं हो, ऐसा माने जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है। इस संबंध में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीरें सिविल टाईम्स 2010 (2) सुप्रिम कोर्ट पेज 462, सिविल टाईम्स 2010 (2) हाई कोर्ट पेज 543, सिविल टाईम्स 2017 (2) हाई कोर्ट पेज 732, आर.आर.टी. 2007 (2) सुप्रिम कोर्ट पेज 939 एवं सिविल टाईम्स 2013 (2) राज पेज 825 प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके अनुसार उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं होने से विलम्ब को कण्डोन किये जाने का कोई आधार है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अन्य जो उजर लिया गया है वह अपीलान्टगण द्वारा दफा 96 जा.दी. के तहत न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं ली गयी है। इस प्रकरण में विधि के उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना अपीलान्टगण द्वारा नहीं गयी है, जिससे भी उक्त अपील पोषणीय नहीं है, जैसाकि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.डी. 1989 पेज 292 एवं आर.आर.डी. 1985 पेज 584 पेश की गयी हैं जो इस प्रकरण से सुसंगत हैं। तद्नुसार यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट दफा 96 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से भी खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि तथा उभयपक्ष भी यह स्वीकार करते हैं कि प्रकरण में मूलवाद जिसके आधार पर अपीलान्टगण उक्त भूमियों में अपना हक मानते हैं। उक्त मूल वाद की अपील अभी माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित होकर उसमें स्थगन

है। रूपान्तरण के प्रकरण में मौलिक रूप से यह देखा जाना होता है कि राजस्व रेकार्ड में अंकित व्यक्ति के नाम पर ही रूपान्तरण किया जाना होता है। रूपान्तरण की कार्यवाही के दौरान रूपान्तरणकर्त्ता अधिकारी को स्वत्व विवेचन किये जाने का अधिकार नहीं है, उसके समक्ष राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित व्यक्ति के नाम पर ही रूपान्तरण किया जाना होता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट व्यक्ति के नाम पर रूपान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसमें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बने नियमों के तहत राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट स्वामित्वधारी के लिए रूपान्तरण आदेश जारी करने को हम किसी प्रकार से अविधिक नहीं मानते हैं, जब तक कि उक्त स्वामित्व को अंतिम रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध घोषित नहीं कर दिया जाता। माननीय राजस्व मण्डल से उक्त प्रकरण में स्थगन है अतएवं इस स्तर पर हम रूपान्तरण के प्रकरण में अपील को पोषणीय नहीं पाते हैं।

अतएवं समग्र रूप से अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, धारा 96 जा.दी. का आवेदन पेश नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26-02-2007 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनाक 24-12-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर